



Neutral Citation- 2026:AHC:32941

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5977/2026

संजय कैलाश सिंह उपनाम संजय सिंह

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जितेंद्र पाल सिंह चौहान

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी, अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या- 6

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

1. याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व 2024 की रिट सी संख्या 13316 दाखिल करके इस न्यायालय का संपर्क किया था, जिसे अंततः 24.05.2024 के आदेश के अंतर्गत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निस्तारित किया गया था। उपर्युक्त आदेश इस प्रकार है:-

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त आदेश पारित होने के उपरांत, खंभे लगाए गए थे जिन्हें बाद में प्रतिवादियों द्वारा खड़ा किया गया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा तहसीलदार एवं उपविभागीय मजिस्ट्रेट, मेहनगर, जिला आजमगढ़ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

3. दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 उप संभागीय मजिस्ट्रेट, मेहनगर, जिला आजमगढ़ मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, मेहनगर, जिला आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है तो प्रतिवादी संख्या 3, छः सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से मामले में उचित आदेश पारित करेगा, किन्तु उसके बाद सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”